संख्या:41/2020/833ई-2/तेरह-2020-57/2016

प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 13 मई, 2020

विषय: मेसर्स मनकापुर चीनी मिल्स लि. (आसवनी इकाई), ग्राम व पोस्ट दतौली, तहसील मनकापुर, जनपद गोण्डा को स्वीकृत औद्योगिक अधिष्ठापित क्षमता 350 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत 90 लाख लीटर वार्षिक पेय क्षमता स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-131/दो-प्रा.डी.-102/मनकापुर आसवनी, दिनांक 27.03.2020 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 24.04.2020 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-767ई-2/तेरह-2020-57/2016, दिनांक 04.05.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मेसर्स मनकापुर चीनी मिल्स लि. (आसवनी इकाई), ग्राम व पोस्ट दतौली, तहसील मनकापुर, जनपद गोण्डा को स्वीकृत औद्योगिक अधिष्ठापित क्षमता 350 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत 90 लाख लीटर वार्षिक पेय क्षमता स्वीकृत किये जाने की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि प्रश्नगत आसवनी पेय मदिरा निर्माण से पूर्व, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से औद्योगिक अल्कोहल के साथ-साथ पेय मदिरा उत्पादन किये जाने की सहमति भी प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-2(5)(ज)(झ) का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in